44

:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ::

क्रमांक/सामान्य/19/2012/53822-57 दिनांक :– 08.02.2013

समस्त अधीक्षक/उप अधीक्षक,
समस्त केन्द्रीय/जिला कारागृह
'ए' एवं 'बी' श्रेणी,राजस्थान

:: परिपत्र ::

विषयः– विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिये **कानूनी सहायता केन्द्र** एवं **बंदी कानूनी सहायक** की व्यवस्था।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अपने अनेक निर्णयों में बंदियों से संबंधित मानवीय एवं विधिक कठिनाईयों के संबंध में विचार कर सुधारात्मक सुझाव एवं निर्देश दिये हैं। अब यह सुस्थापित विधिक मान्यता है कि विचाराधीन या दण्डित बंदी को कानून द्वारा छीनी गई स्वतंत्रता के अतिरिक्त अन्य सभी संवैधानिक, मानवीय एवं विधिक अधिकार प्राप्त होते है। बंदी जीवन के अनेक दयनीय दृश्य एवं प्रकरण न्याय पालिका एवं सूचना तंत्र (मीडिया) द्वारा समय–समय पर उजागर किये गये हैं।

2 विधिक प्राधिकरण अधिनियम के माध्यम से विधायिका ने बंदियों की विधिक समस्याओं के निराकरण हेतु विधिक ज्ञान के प्रचार–प्रसार एवं विधिक सहायता का बड़ा कार्य राज्य, जिला एवं तालुका विधिक प्राधिकरण के माध्यम से सम्पादित कराने की व्यवस्था की है।

3 केन्द्रीय एवं जिला कारागृहों में कानूनी सहायता केन्द्रों की स्थापना

3:1 वर्तमान व्यवस्था में विधि विशेषज्ञों द्वारा नियमित रूप से विधिक सलाह एवं सहायता कारागृहों पर उपलब्ध नहीं होने के कारण बंदियों को इस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक केन्द्रीय एवं जिला कारागृह में कानूनी सहायता केन्द्र की स्थापना की जाये।

3:2 सामान्यतया यह केन्द्र कारागृह के मध्य क्षेत्र में स्थापित किया जाये जिससे बंदियों का केन्द्र पर आवागमन सुविधाजनक हो सके तथा वहॉ **कानूनी सहायता केन्द्र** पेन्ट से लिखवाया जाये। अधीक्षक/ प्रभारी द्वारा केन्द्र के संचालन के लिये छोटी टेबिल तथा 2 कुर्सियॉ उपलब्ध कराई जावें।

3:3 कानूनी सहायता केन्द्र एवं उसमें नियोजित बंदी कानूनी सहायक अधीक्षक/प्रभारी अथवा उनके द्वारा मनोनीत जेल अधिकारी के अधीन कार्य करेंगे। प्रभारी/मनोनीत अधिकारी बंदियों की कानूनी समस्याओं का निराकरण बंदी कानूनी सहायकों द्वारा नहीं होने पर स्वयं निराकरण करेंगे।

4.बंदी कानूनी सहायक का चयन, प्रशिक्षण एवं कार्य संपादन

4:1 उपरोक्त कानूनी सहायता केन्द्र संचालित करने के लिये केन्द्रीय कारागृह में 2 तथा जिला कारागृह में एक–एक उपयुक्त बंदी का चयन किया जाये। सामान्यतः चयन में विधि का अध्ययन किये हुए बंदी को प्राथमिकता दी जाये।

4:2 अधीक्षक/प्रभारी कारागृह द्वारा चयनित बंदी को उसके कार्यों एवं प्रक्रिया के संबंध में मुख्यालय द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा जिसके पश्चात् ही उसे बंदी कानूनी सहायक के रूप में कारागृह पर इस कार्य के लिये नियुक्त किया जाये।

4:3 मुख्यालय द्वारा प्रशिक्षण के उपरान्त नियुक्त बंदी कानूनी सहायक/सहायकों के साथ पैरा 4:1 के मापदण्डानुसार उपयुक्त एक अतिरिक्त बंदी को नियोजित किया जाये जो प्रशिक्षित कानूनी सहायकों के साथ रहकर उत्तरदायित्व एवं कार्य संपादन का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सके तथा जिसे मुख्यालय द्वारा भावी प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जा सके।

4:4 अधीक्षक/प्रभारी द्वारा प्रशिक्षण उपरान्त नियुक्त बंदी कानूनी सहायक के रूप में नियुक्त एवं कार्यरत बंदी को जेल सेवा में माना जाये तथा उन्हें नियमानुसार मजदूरी एवं परिहार का लाभ देय होगा। आचरण संदिग्ध होने अथवा कार्य संपादन वॉछित स्तर का नहीं होने पर उसे अधीक्षक/प्रभारी द्वारा हटाया जा सकेगा।

4:5 जिन कारागृह में वार्ड व्यवस्था हो उनमें कानूनी सहायता केन्द्र की स्थापना की जावे किन्तु बंदी कानूनी सहायक प्रत्येक वार्ड में सप्ताह में कम से कम एक बार स्वयं जाकर बंदियों को कानूनी सहायता उपलब्ध करायेगा तथा बंदी सामान्यतः **कानूनी सहायता केन्द्र** पर नहीं जायेंगे। जिन वार्डों में नये बंदी निरूद्ध रखे जा रहे हैं उन वार्डों में प्रभारी/मनोनीत अधिकारी के साथ ही जायेंगे।

4:6 दूसरी ओर जिन कारागृहों में वार्ड व्यवस्था नहीं है उन कारागृहों में **कानूनी सहायता केन्द्र** पर बंदी स्वयं आकर अपनी कठिनाई के बारे में बंदी कानूनी सहायक को बतायेंगे। अधीक्षक/प्रभारी कारागृह द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

4:7 बंदी कानूनी सहायकों के माध्यम से नये प्रविष्ट बंदियों को प्रतिदिन कानूनी सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

4:8 बंदी कानूनी सहायक अन्य बंदियों की तरह ही केवल बैरिक खुलने के समय ही अपना कार्य करेंगे तथा शेष समय स्वयं की बैरिक में ही निरूद्ध रहेंगे।

4:9 प्रत्येक बंदी कानूनी सहायक स्वयं द्वारा दैनिक कार्यवाही पंजिका का संधारण करेगा जिसका नियमित रूप से प्रभारी द्वारा अवलोकन किया जाकर मार्गदर्शन किया जायेगा। पंजिका का प्रारूप निम्न होगा :—

दिनांक	बंदी का नाम, बैरिक/वार्ड संख्या एवं बताई गयी कठिनाई	निवारण कार्यवाही का विवरण
1	2	3

4:10 बंदी कानूनी सहायकों द्वारा कार्य संपादन के लिये जरूरी स्टेशनरी, फार्म आदि अधीक्षक/प्रभारी द्वारा उपलब्ध कराये जायें।

4:11 बंदी कानूनी सहायक द्वारा जिन बंदियों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा सका है उन कठिनाइयों को कारागृह दौरे पर आने वाले न्यायिक अधिकारियों एवं जिला विधि सहायता समिति के वकील के समक्ष प्रभारी/मनोनीत पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा रखा जाना चाहिये ताकि उनका निराकरण हो सके।

5 बंदी कानूनी सहायक के कार्य

(अ) कानूनी सहायक का प्राथमिक कार्य सरकारी वकील की उपलब्धता, जमानत संबंधी कानूनी प्रावधान, जेल अनुशासन, जेल दण्ड, परिहार, पैरोल और खुले शिविर की पात्रता के बारे में बंदियों को जानकारी देना है।

बंदी कानूनी सहायक का कार्य मुख्यतः निम्न क्षेत्रों से संबंधित बंदियों की समस्याओं की जानकारी कर जेल प्रशासन की सहायता से इनका निराकरण किया जाये :–

(i) विचाराधीन बंदी का कोई अधिकृत वकील नहीं होने पर
(संभावित कार्यवाही :– बंदी कानूनी सहायक द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र भरवाकर प्रभारी अधिकारी के माध्यम से भिजवाया जाये।)

(ii) बंदी का उसके वकील से सम्पर्क न होने या उसमें कठिनाई आने पर।
(संभावित कार्यवाही :– बंदी से वकील का नाम, दूरभाष नंबर या पता ज्ञात कर जेल प्रभारी अधिकारी के माध्यम से पत्र द्वारा या दूरभाष पर सम्पर्क कराना।)

(iii) बंदी को स्वयं के विरूद्ध प्रकरणों की जानकारी नहीं होने पर।
(संभावित कार्यवाही :– कारापाल प्रबंधक के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर बंदी को बताना।)

(iv) कानून द्वारा निर्धारित 60 अथवा 90 दिनों की अवधि में चालान पेश नहीं होने पर बंदी की जमानत के संबंध में।
(संभावित कार्यवाही :– जेल प्राधिकारी के माध्यम से विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अभिभाषक की मदद से जमानत संबंधी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुतीकरण की कार्यवाही।)

(v) नाबालिग बंदी से संबंधित मामला होने पर।
(संभावित कार्यवाही :– जेल प्राधिकारी के माध्यम से मामला संबंधित स्थानीय किशोर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की जानकारी में लाने संबंधी कार्यवाही।)

(vi) दण्ड प्रक्रिया संहिता (जाप्ता फौजदारी/सी.आर.पी.सी.) की धारा 107, 108, 109 एवं 110 में गिरफ्तारी के मामलें में 07 दिन से ज्यादा बंदी के निरूद्ध होने की स्थिति में।
(संभावित कार्यवाही :– जेल प्राधिकारी के माध्यम से संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की जानकारी में लाने संबंधी कार्यवाही।)

(vii) बंदी की गिरफ्तारी के संबंध में उसके परिवार/परिजनों को सूचना न होने की स्थिति में।

(संभावित कार्यवाही :– बंदी के परिवारजन का नाम, पता अथवा दूरभाष/मोबाईल नंबर ज्ञात कर जेल प्राधिकारी की मदद से परिवारजन को सूचित करने की कार्यवाही कराना।)

(viii) दण्डित बंदी द्वारा सजा के विरूद्ध दायर अपील के स्थिति के संबंध में।
(संभावित कार्यवाही :–जेल प्राधिकारी के माध्यम से राजकीय अधिवक्ता/संबंधित न्यायालय से रजिस्ट्री से जानकारी प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही।)

(ix) बंदियों को प्राप्त विभिन्न विधिक अधिकार यथा पैरोल/स्थाई पैरोल/समय पूर्व रिहाई/खुला बंदी शिविर में स्थानांतरण संबंधी प्रार्थना–पत्र भरने एवं भिजवाने के संबधं में।
(संभावित कार्यवाही :– संबंधित नियमों के विधिक प्रावधानों को भलीभांति समझकर बंदियों को सही स्थिति से अवगत करवाकर जेल प्राधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने संबंधी कार्य।)

इस संकल्पना एवं उद्देश्य की पूर्ति आपके व्यक्तिगत रूझान एवं सक्रिय भूमिका के बिना संभव नहीं है। अतः आपसे अपेक्षा है कि कारागृह में निरूद्ध प्रत्येक बंदी को निःशुल्क कानूनी सहायता **बंदी कानूनी सहायता केन्द्र** की स्थापना कर प्रदान करने हेतु उपरोक्त व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(ओमेन्द्र भारद्वाज)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार,राजस्थान,जयपुर।

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित हैः–

1. अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त उप महानिरीक्षक कारागार, रेंज कार्यालय, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर

6/1/2012

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार,राजस्थान,जयपुर।